सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अर्जुनलाल बनाम रमाबाई उर्फ श्यामलाल

प्रा० पत्र 46/2023

8/8/25 पत्रावली पेशदर्ज। अपील अन्तर्गत धारा 212 पट्टा अपील प्रार्थी की ओर से धारा 212 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दायर की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिये कि उनके मुवक्किल के पक्ष में पट्टा आज पत्रावली पर आदेश दि० 13/8/25 के पेश हो।

13/8/25 पत्रावली पर आदेश पेशदर्ज। अपील अन्तर्गत धारा 212 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दायर की गई है। अपीलार्थी की ओर से तर्क दिये गये कि उनके मुवक्किल के पक्ष में पट्टा आदेश दि० 13/8/25 को पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिये कि उनके मुवक्किल के पक्ष में पट्टा आदेश दि० 13/8/25 को पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिये कि उनके मुवक्किल के पक्ष में पट्टा आदेश दि० 13/8/25 को पारित किया गया है।

सहायक कलक्टर
सीकर

सहायक कलक्टर
सीकर